न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 77/2014

1. नत्थूराम पुत्र मुन्शीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. गिरदावरी पत्नी गिरधारी पुत्र मुन्शीराम
3. मंगतराम पुत्र गिरधारी पुत्र मुन्शीराम — जाति नायक निवासी बनवाली तहसील
4. रामस्वरूप पुत्र गिरधारी पुत्र मन्शीराम — सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर वारिस
5. इन्द्रा पुत्री गिरधारी पुत्र मुन्शीराम — मृतक गिरधारी।
6. शंकरलाल पुत्र मुन्शीराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

1. जगजीतसिंह उर्फ जीतासिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति मजहबी सिख निवासी दलीया वाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरजंटसिंह पुत्र लालसिंह जटसिख निवासी दलमोर खेडा तहसील अबोहर पंजाब हाल बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

2/1 गुरविन्द्रसिंह
2/2 प्रकाशसिंह
2/3 जसविन्द्र कौर
2/4 नवनीत कौर
2/5 सुखदीप कौर
2/6 भजन कौर पत्नी गुरजन्ट सिंह
— पिसरान गुरजन्ट सिंह — जाति जटसिख निवासी चक 6 बी.जी.एस. ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

14/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 26.04.2011

उपस्थितिः–

श्री जगमोहन आहूजा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री कुलवन्तसिंह सन्धू अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 14.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ एक प्रा.पत्र राज. काश्त.अधि की धारा 212 का पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे चक 6 बी.जी.एस. के मु.नं. 37 के 3.795है0 यानि 15 बीघा भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल नहीं करें। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 ने विवादित भूमि जरिये बैयनामा क्रय की है एवं कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 1 का चला आ रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 को बेचान की थी मौका पर रजि0 बैयनामा के समय से ही खरीददार अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 26.04.2011 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

दिनांक 16.04.2018 को वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर कथन किया कि उनके द्वारा No Instruction हेतु समय चाहा जिस पर आगामी तारीख पेशी 08.05.2018 दी गई। इस दिनांक को वकील अपीलांट अनुपस्थित। परन्तु वकील रेस्पों. ने अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने का निवेदन किया गया जिस पर वकील रेस्पों. की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

14/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 07.12.2009 से अप्रार्थी सं. 1 ने क्रय की है जिसका इन्तकाल अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हो चुका है। विवादित भूमि दिनांक 13.01.1996 से अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में है जिसका समर्थन अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जबाब प्रा.पत्र में किया है। इस प्रकार अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं पाया जाता है। रेस्पों. सं. 1 विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर